

संचिका सं० 10/विधि-17-37/2008 (पार्ट)...1033...(10)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 01-02-19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष-200-अन्य पद्धतियाँ, उपशीर्ष-0001-अन्य पद्धतियाँ, विपत्र कोड-20-2210062000001 विषय शीर्ष (28-02)-संविदा सेवायें अन्तर्गत योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने हेतु कुल रुपये 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) मात्र प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेख करना है कि राज्य के जिलों में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवधि विस्तारित करते हुए पाँच जिलों (यथा-पटना, दरभंगा, मोतिहारी, वैशाली एवं जमुई) से प्राप्त मांग के आलोक में प्रतिमाह रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) मानदेय के आधार पर प्रति जिला रुपये 1,20,000/- की दर से 1,20,000x5=6,00,000/- एवं जमुई जिला को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 30,000/- रुपये तथा 2017-18 के लिए 1,20,000/- रुपये का बकाये राशि का भुगतान अर्थात् कुल रुपये 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) मात्र प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

- राशि का व्यय वित्त विभाग के प्रपत्र सं०-2561वि०(2), दिनांक 17.04.98 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
- राशि की निकासी मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष-200-अन्य पद्धतियाँ, उपशीर्ष-0001-अन्य पद्धतियाँ, विपत्र कोड-20-2210062000001 विषय शीर्ष (28-02)-संविदा सेवायें अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिले के संबंधित सिविल सर्जन एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने की स्थिति में ही संबंधित सिविल सर्जन राशि की निकासी करेंगे और राशि का व्यय विवरणी /उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- जिलों से प्राप्त व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद राशि की मांग के आलोक में ही संबंधित जिलों को अगले वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित की जायेगी।
- प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता की समीक्षा राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा पटना द्वारा की जायेगी तथा गुण-दोष के आधार पर वर्ष 2019-20 में इसे जारी रखना है या नहीं पर कार्रवाई राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा पटना के माध्यम से विभाग द्वारा लिया जायेगा।
11. यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत किया गया है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,




(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/विविध-17-37/2008 (पार्ट ).....1033.....(10) /स्वा0, पटना, दिनांक:- 01-02-19

**प्रतिलिपि**-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा एवं जमुई/क्षेत्रिय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल पटना, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/स्तिदिल सर्जन, पटना, मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा एवं जमुई/कोषागार पदाधिकारी, पटना, मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 7/10 एवं कार्यवाहक सहायक, प्रशाखा-10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य के पाँच जिलों के बीच उपबंधित राशि का आवंटन:-

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	पटना	1,20,000 /-
2	मोतिहारी	1,20,000 /-
3	वैशाली	1,20,000 /-
4	दरभंगा	1,20,000 /-
5	जमुई	2,70,000 /-
	कुल-	7,50,000 /-

(सात लाख पचास हजार रुपये)



सरकार के विशेष सचिव।